5/2/2020	पत्रावली पेश हुई। ... आवेदक का वकील पैरोकार सरकार उपस्थित है। साक्ष्य बाद पत्र दि० 8-5-2020 चाहते है वास्ते बहस को पेश हो
8/5/2020	पत्रावली पेश हुई। ~~प्रकरणरत के अभिभाषक~~ ... श्रीमान ... ~~महोदय अवकाश/~~ लोक डाउन महोदय दौरे/अवकाश से तशरीफ रखते है पत्रावली दिनांक 10-6-2020 को पेश हो
10/6/2020	पत्रावली पेश हुई। ~~प्रकरणरत के अभिभाषक~~ ~~महोदय उपस्थित~~। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ लोक डाउन/अवकाश से तशरीफ रखते है पत्रावली दिनांक 19-8-2020 को पेश हो
19/8/2020	पत्रावली पेश हुई। ~~प्रकरणरत के अभिभाषक~~ ~~महोदय उपस्थित~~। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ लोक डाउन/अवकाश से तशरीफ रखते है पत्रावली दिनांक 28.10.2020 को पेश हो
28.10.20	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित है। वाद पत्र मे बहस सुनी गई। संक्षेप मे वाद में कथन किया है कि वादीगण के गैर-खातेदारी की भूमि ग्राम कैथूदा में खसरा नं 52 रकबा 7 बीघा 19 बीस्वा भूमि है। इसी प्रकार ग्राम सुंसा पटवार मण्डल तह० नैनवां मे खसरा सं. 313/0-06, 766/0-10, 780/2-08 कुल किता 03 रकबा 3 बीघा 4 बीस्वा भूमि है जो वादीगण के पिता गोपाल की खातेदारी में दर्ज थी। पिता गोपाल की सन 1973 में मृत्यु हो गई है। वादीगण पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करते चले आ रहे है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि चरण सं. 1 मे वर्णित भूमि जो वादीगण के नाम 35-40 वर्ष से गैर-खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है उसको रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज करवायें। अत: निवेदन है कि वादीगण को चरण सं. 1 में वर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे। अपने वाद के समर्थन मे शपथ पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2069-72 ~~खातेदा~~ खाता सं. 227 ग्राम कैथूडा, सम्वत 2069-72 खाता सं. 197 ग्राम चूंसा पेश की। तहसीलदार नैनवां ने अपने जवाब मे निवेदन किया कि ग्राम कैथूडा के खसरा नम्बर 52 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा किस्म नहरी-II चौथमल, शंकर, शम्भू, मनभर, सीता पिसरान गोपाल माली के नाम खातेदारी दर्ज है। आराजी पर आवंटी का कब्जाकाश्त निर्विवाद है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। भूमि कमाण्ड क्षेत्र की होने के कारण आरक्षित मूल्य मय ब्याज जमा होना अपेक्षित है।

हमनें वादपत्र, प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। वादीगण ग्राम कैथूडा की खसरा सं. 52 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा पर गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके सम्बन्ध मे खाता सं. 227 जमाबन्दी की नकल पेश हुई है। वादीगण विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त करते चले आ रहे है। जो उक्त भूमि पर खातेदारी आसामी की हैसियत प्राप्त कर चुके है। वादीगण को ग्राम कैथूडा की भूमि रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा पर खाते[illegible] अधिकार [illegible]ना न्यायोचित है। अत: वादीगण [illegible] किया जाता है [illegible] सम्वत 2069 से 2072 [illegible] 227 खसरा सं. 52 रकबा 7 बीघा 19 [illegible]वा पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। भूमि का नियमानुसार आरक्षित मूल्य मय ब्याज जमा होने पर राजस्व रिकार्ड

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:59:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner